न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 03/2008/प्रा. पत्र 14(4)

1. परसा (मृत)
1.1 सुन्दरी पत्नी परसाराम (हजफ)
1.2 बाबुलाल
1.3 कैलाश
1.4 सीताराम
1.5 प्रहलाद
1.6 हरिनारायण

(1.2 से 1.6) पुत्रगण परसाराम, जाति जाट, निवासी अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

1.7 बरफी पुत्री परसाराम, पत्नी मुरलीधर जाट, निवासी जाजकलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्रीनारायण
2. महावीर प्रसाद
3. शिवकरण
4. मक्खनलाल
5. गोपाल
6. बृजमोहन

(1 से 6) पुत्रगण भैंरू, समस्त जाति जाट, निवासीगण अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर

7. हीरा उर्फ हरली पत्नी स्व. भैंरू (मृत)
8. कमला पुत्री भैंरू पत्नी महादेव कपूरिया — जाति जाट, निवासिनी राजपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर
9. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान लेण्ड रेवन्यु (अलाटमेंट ऑफ लेण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपचेज) नियम 1970

उपस्थितः—
1. वकील श्री लक्ष्मण सिंह प्रार्थीगण की ओर से।
2. वकील श्री सांवरमल अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

जिला कलक्टर, सीकर

निर्णय

सुनवाई दिनांकः 19 फरवरी, 2018 निर्णय दिनांक :27 फरवरी, 2018

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) विवादित भूमि खसरा नम्बर 1130/2 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 1131 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 2169 रकबा 1.39 है. तन ग्राम अजीतगढ़ में स्थित है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1130/2 व 1131 को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व 8 का पिता व 7 का पति भैंरू अपने पिता के समय से निरन्तर कांबिज काश्त चले आ रहे थे, जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी में निरन्तर चला आ रहा है। भैंरू का देहान्त हुए करीब 13—14 वर्ष हो गये हैं। भैंरू के 1/2 हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 का कब्जा है, जो भैंरू के वारिस हैं, विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक भूमि अंकित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व 8 के पिता तथा 7 के पति स्व. भैंरू ने धोखे व षड़यंत्र में पटवारी हल्का से साजिश कर गलत तथ्य अंकित कर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से सलाहाकार समिति की राय से दिनांक 13.04.1978 को विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1130/2 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 1131 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 2169 रकबा 1.39 है. तन ग्राम अजीतगढ को प्रार्थी संख्या 1 व भैंरू दोनों का कब्जा काश्त होते हुए भी अपने पक्ष में नियमन करवा ली।

(2) नियम आज्ञा पारित करने के वक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी संख्या 1 व भैंरू दोनों का कब्जा काश्त पूर्व की भांति था। अकेले भैंरू का कब्जा नहीं होते हुए भी उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने सलाहाकार समिति की राय से दिनांक 13.04.1978 का नियमन आदेश पारित करने में गलती की है।

(3) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपनी आज्ञा पारित करने से पूर्व विवादित आराजी संबंधित खसरा गिरदावरी इन्द्राज व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही नियमन आदेश दिनांक 13.04.1978 पारित कर दिया।

(4) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपनी आज्ञा पारित करने से पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 5 के अनुसार खाली भूमि की कोई सूची नहीं बनायी और न ही नियम 7 के अनुसार कोई विज्ञप्ति जारी की। समस्त कार्यवाही गोपनीय ढंग से की है।

जिला कलक्टर, सीकर

(5) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने नियमन आदेश दिनांक 13.04.1978 पारित करने से पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 10 के अनुसार कोई जांच नहीं की है।

(6) स्व. भैंरू ने नियमन संबंधी सारी कार्यवाही गोपनीय ढंग से की है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को न तो भैंरू ने अपने जीवनकाल में दी और न उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण ने बताया, जबकि प्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त पूर्व की भांति निरन्तर चला आ रहा हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 ने दिनांक 10.05.2008 को प्रार्थी संख्या 1 को धमकी दी कि विवादित भूमि का नियमन उनके पिता भैंरू अकेले के पक्ष में उनके जीवनकाल में हो गया था और अब प्रार्थी संख्या 1 को बारिश होने पर काश्त नहीं करने देगें। इस पर प्रार्थी ने विवादित आराजी से संबंधित मिलान क्षैत्रफल नियमन आदेश खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील आदि दस्तावेजात की नकल प्राप्त की। समस्त दस्तावेजात दिनांक 2[illegible].06.2008 को प्राप्त होने पर आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व 8 के पिता व 7 के पति भैंरू के हक में उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा किया गया नियमन आदेश दिनांक 13.04.1978 निरस्त फरमावें तथा विवादित आराजी के 1/2 भाग की प्रार्थी संख्या 1 व शेष 1/2 भाग की अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के हक में नियमन की आज्ञा फरमाने का श्रम करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से वकील श्री सांवरमल उपस्थित आये।

3. अप्रार्थी संख्या 04 ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि:-

(1) नियमन आदेश दिनांक 13.04.1978 भू आवंटन एवं नियमन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधि व नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पिता भैंरू पुत्र श्योला के हक में किया गया था। उक्त भूमि नियम आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 12.12.1978 को राजस्व अभियान के दौरान भैंरू पुत्र श्योला जाट निवासी अजीतगढ़ के नाम स्वीकार किया गया था। भैंरू के हक में नियमन परामर्शदात्री समिति द्वारा ग्राम अजीतगढ में मजमे आम में सर्व सम्मति से किया गया था। उस समय प्रार्थी संख्या एक व ग्राम के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें नियमन के बाबत किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया।

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy Not Official

व ग्राम के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें नियमन के बाबत किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया।

(2) उपरोक्त भूमियां सिवाय चक रही हैं और भैंरू पुत्र श्योला उक्त भूमियों के नियमन के पात्र रहा है। वादग्रस्त भूमियां रास्ते की, तालाब की या सार्वजनिक उपयोग की नहीं रही है और ऐसा कोई आरोप भी प्रस्तुत आवेदन में नहीं लगाया गया है। इस कारण प्रस्तुत मामला जनहित से भी संबंधित नहीं है।

(3) उपरोक्त नियमन श्योलाराम को पूर्ण खातेदारी के अनुसार भैंरू पुत्र श्योलाराम को पूर्व खातेदारी हक अधिकार काफी वर्ष पूर्व हो गये थे और राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में पूर्ण खातेदारी काश्तकार के रूप में चला आ रहा है। भैंरू पुत्र श्योला का स्वर्गवास 1995 में हो गया था। भैंरूराम के जीवनकाल में उनके साथ व उनके स्वर्गवास के बाद उनके उत्तराधिकारीगण के रूप में खातेदारी काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं।

(4) पूर्ण खातेदार काश्तकार की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार ही खातेदारी अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है। कृषि हेतु भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत पूर्ण खातेदारी समाप्त किये जाने के कोई प्रावधान नियम में नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है।

(5) यह प्रार्थना पत्र नियमन आदेश दिनांक 13.04.1978 के विरूद्व 2008 में 30 वर्ष 2 माह बाद पेश किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने हक अधिकारों की मांग सक्षम न्यायालय में अन्दर मियाद पेश किये जाने के कानूनी प्रावधान हैं।

(6) विधि और नियमानुसार काबिज व्यक्ति के कालातित से प्राप्त हक अधिकारों को किसी भी व्यक्ति की अवैध अनाधिकृत मांग पर दिये जाने का कानूनी प्रावधान नहीं है।

(7) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जनहित का न होकर निजी आदमियों के हक अधिकारों के विवाद से संबंधित होने के अन्तर्गत नियम 14(4) में निस्तारण व निर्णय किया जाना कानूनन संभव नहीं है। इसके लिए सक्षम राजस्व न्यायालयों में चाराजोही के कानूनी उपचार उपलब्ध हैं।

अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य न होने के कारण तथा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व 8 के पिता तथा 7 के पति स्व. भैंरू ने धोखे से पटवारी हल्का से साजिश कर गलत तथ्य अंकित कर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से सलाहाकार समिति की राय से दिनांक 13.04.1978 को विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1130/2 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 1131 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 2169 रकबा 1.39 है. तन ग्राम अजीतगढ को प्रार्थी संख्या 1 व भैंरू दोनों का कब्जा काश्त होते हुए भी अपने पक्ष में नियमन करवा ली। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने नियमन आदेश दिनांक 13.04.1973 पारित करने से पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 5, नियम 7, नियम 10 की अनदेखी की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व 8 के पिता व 7 के पति भैंरू के हक में उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा किया गया नियमन आदेश दिनांक 13.04.1978 निरस्त फरमावें तथा विवादित आराजी के 1/2 भाग की प्रार्थी संख्या 1 व शेष 1/2 भाग की अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के हक में नियमन की आज्ञा फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 4 का मुख्य कथन है कि पूर्ण खातेदार काश्तकार की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार ही खातेदारी अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है। कृषि हेतु भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत पूर्ण खातेदारी समाप्त किये जाने के कोई प्रावधान नियम में नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जनहित का न होकर निजी आदमियों के हक अधिकारों के विवाद से संबंधित होने के अन्तर्गत नियम 14(4) में निस्तारण व निर्णय किया जाना कानूनन संभव नहीं है। विधि और नियमानुसार काबिज व्यक्ति के कालातित से प्राप्त हक अधिकारों को किसी भी व्यक्ति की अवैध अनाधिकृत मांग पर दिये जाने का कानूनी प्रावधान नहीं है। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

7. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि:—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, सीकर

(1) प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवंटी को दिनांक 13.04.1978 को भूमि आवंटन किया जाकर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है।

(2) पूर्ण खातेदार काश्तकार की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार ही खातेदारी अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है। कृषि हेतु भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत पूर्ण खातेदारी समाप्त किये जाने के कोई प्रावधान नियम में नहीं है।

(3) प्रार्थी द्वारा न तो आवंटन आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्ततु की गई है और ना ही भू आवंटन नियम 1970 के नियम 5, 7 व 10 के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई समुचित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है।

(4) विधि और नियमानुसार काबिज व्यक्ति के कालातित से प्राप्त हक अधिकारों को, किसी भी व्यक्ति की मांग पर दिये जाने का कानूनी प्रावधान भू आवंटन नियम की धारा 14(4) में नहीं है।

8. अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 27 फरवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official